आखिरी जांच: 20 अक्टूबर 2026 · Energy Department

# Magel Tyala Saur Krushi Pump Yojana (off-grid solar pumps)

किसानों के लिए सौर कृषि पंप। आप लागत का सिर्फ 10% (SC और ST किसानों के लिए 5%) देते हैं और सौर पैनल के साथ पूरा पंप सेट पाते हैं।

## क्या मिल सकता है

किसान की सिर्फ अपनी हिस्सेदारी देकर सौर पैनल और पूरा कृषि पंप सेट: सामान्य वर्ग के लिए 10% और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए 5%। आपकी ज़मीन के हिसाब से पंप 3 HP, 5 HP या 7.5 HP का होता है।

## किसके लिए है

महाराष्ट्र के वे किसान जिनके पास पक्के जल स्रोत वाली खेती की ज़मीन है, जैसे कुआं, बोरवेल, खेत तालाब या ज़मीन के पास बहने वाली नदी या नाला।

## मुख्य शर्तें

- ज़मीन के हिसाब से पंप: 2.5 एकड़ तक की ज़मीन के लिए 3 HP तक, 2.51 से 5 एकड़ के लिए 5 HP, 5 एकड़ से ज़्यादा के लिए 7.5 HP। आप अपनी सीमा से छोटा पंप भी मांग सकते हैं।
- पक्का जल स्रोत चाहिए: कुआं, बोरवेल, निजी या सामुदायिक खेत तालाब, या साल भर बहने वाली नदी या नाले के पास की ज़मीन।
- आपने अटल सौर कृषि पंप योजना 1 या 2, या मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना का लाभ न लिया हो।

## स्थिति

जारी

**आधिकारिक स्रोत:** https://energy.maharashtra.gov.in/en/scheme/magel-tyala-saur-krishi-pump-yojana/
**आधिकारिक आवेदन:** https://portal.mahadiscom.in/solar_MTSKPY/index_mr.php
**Labh Lo पेज:** https://labhlo.in/hi/schemes/maharashtra/mh-magel-tyala-saur-krushi-pump/

**Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।**
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।